

ब्रिटिश काल में बिहार के किसानों की समस्याएँ - एक अध्ययन।

डॉ० कुसुम कुमारी

(इतिहास)

सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका (झारखण्ड)

अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह नील विद्रोह नील विद्रोह था। १८८६.६० ई में बंगाल में हुये इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल ही स्थापित कर दी। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिये नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिये बाध्य किया। जिस उपजाऊ जमीन पर चावल की अच्छी खेती हो सकती थी उस पर किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झुठे करार द्वारा नील की खेती करवायी जाती थी। करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम वापस करके शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। किसान आन्दोलन के रूप में जाने जाते हैं। १८५६ ई भारत में कई जगहों पर किसान आन्दोलन हुए आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में समय में समय-समय पर होने वाली उथल पुथल में किसानों की कोई सार्थक भूमिका नहीं रही है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में जिन लोगों ने शीर्ष स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उनमें आदिवासियों जनजातियों और किसानों का अहम योगदान रहा है। देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन पाबना विद्रोह तेभागा आंदोलन चम्पारण का सत्याग्रह और बारदोली में जों आंदोलन हुए थे इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं ने किया। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन् १८५० से हुई थी लेकिन चूंकि अंग्रेजों की नीतियों पर सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए इसलिए आजादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली।

सन् १८५७ के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों की ज्यादतियों का सबसे बड़ा संघर्ष पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया ।

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीति से सर्वाधिक प्रभावित लोगों में किसान ही थे। ब्रिटिश विभाजनकारी नीति के कारण बिहार में किसानों की पंचमुखी वर्गीकरण की स्थिति थी । अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अधिक से अधिक राजस्व की उगाही हेतु यहाँ के किसानों का अनेक स्तरों पर शोषण किया । जमींदारों, गुमास्तों, साहूकार, महाजनों आदि नेभी कृषकों का भरपूर दोहन किया, जिस कारण बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई

और आर्थिक कमजोरी के साथ-साथ उनका सामाजिक स्तर भी गिरता चला गया। बिहार के किसानों को कम्पनी एवं जमींदार दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। भूख, दरिद्रता और शोषण से पीड़ित किसानों ने अनेकों बार विद्रोह किये।

ब्रिटिश सरकार द्वारा यह योजना बनाई गई कि जमींदारों को जमीन की मालिक के रूपमें स्वीकृत कर निश्चित अवधि के लिए, निश्चित लगान के बदले उन्हें जमीन दे दी जाय। इस उद्देश्य से जमींदारों के साथ 'दस शाला' प्रबन्धन किया। बाद में बिहार में इस व्यवस्था को चिर-स्थायी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया गया। इस व्यवस्था ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया, जमीन पर उनका स्वामित्व पैतृक हो गया। अब किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए। किसानों के भूमि संबंधी एवं अन्य पैतृक अधिकार समाप्त कर दिये गए। चिर-स्थायी प्रबंधन ने किसानों के दुर्दिन लाये, उन्हें अत्याचारी जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। उनके परंपरागत अधिकार (सार्वजनिक चारागाह, जंगल, मछली पालन इत्यादि) छीन लिये गए और उन्हें जमींदारों को व्यक्तिगत रैयत बना दिया गया। इतना ही नहीं, पैदावार पर भी उनका एकाधिकार नहीं रहा। जमींदार उनसे मनमानी राशि वसूल कर कम्पनी को निश्चित रकम देते थे और शेष अपने पास रख लेते थे, साथ ही उन्हें जमींदारों को बेगार, उपहार, नजराना इत्यादि भी देना पड़ता था। फलतः किसानों की स्थिति दयनीय होती गई। १९वीं शताब्दीके प्रारंभ तक कुटिर उद्योग विनाश के कगार पर पहुँच चुकी थी। महाजनी व्यवस्था भीमंदा पड़ गया था। अतः महाजनों और साहूकारों ने अपना धन, जमीन में ही लगाना श्रेष्ठ कर समझा वे ऋण पर किसानों को लगान चुकाने के लिए धन देते थे। जब किसान ऋण अदा नहीं कर पाता था, तब महाजन किसान की जमीन निलाम करवाकर उसपर अपना कब्जा कायम कर लेता था। इस प्रकार धीरे-धीरे महाजन वर्ग भू-पति बन गया और किसान अपनी जमीनखोकर मजदूरों की श्रेणी में आ गया।

अंग्रेजी कम्पनी के द्वारा स्थायी बंदोवस्त लागू किए जाने के उपरांत बिहार में दरभंगाराज, बेतियाराज, हथुआराज, छोटा नागपुरराज, बाधीराज, डुमरांव राज और पातेपुराराज जैसे अनेकों राज को जमींदार का दर्जा दिया गया और उनके साथ राजस्व वसूलने का अनुबंध किया गया। एक बार जमीन का मालिक बन जाने पर अन्य जगहों की तरह बिहार के जमींदारों ने किसानों के ऊपर तरह-तरह के जोर-जुल्म करने शुरू किये।

उनके साथ राजेन्द्र प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, धरनीधर प्रसाद, रामरक्ष ब्रह्मचारी, अनुग्रह नारायण सिंह, ध्वाजा प्रसाद साहू एवं जे. वी. कृपलानी आदि मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगा दी और गाँधी जी को अवज्ञा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसा दमन का प्रतिकार करने के लिए किया है, अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा। बिहार के उप-राज्यपाल एडवार्ड अल्बर्ट गेट ने एक चम्पारण एग्रेरियन समिति नामक जाँच समिति बनाई जिनमें एक सदस्य गाँधी जी भी थे। इस समिति की अनुशंसा पर ही दमनकारी 'तीन कठिया' व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों से अवैध रूप से वसूले गये धन का २५ प्रतिशत वापस कर दिया गया। १९१६ ई. में चम्पारण एग्रेरियन अधिनियम' पारित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ।

बिहार में चम्पारण के अतिरिक्त दरभंगाराज में भी किसान आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलन का कारण भी राज्य के अधिकारियों (छोटे जमींदारों) द्वारा किसानों का शोषण था। जमींदारों के साथ किसानों का चारागाह या लकड़ी संबंधी विवाद भी होते थे। जमींदार किसानों से लगान के अतिरिक्त अन्य प्रकार के करों की वसूली भी जरदस्ती करते थे। इस शोषणों के विरुद्ध किसानों में असंतोष की भावना सुलग चुकी थी। १९१६ ई० से किसान इन शोषणों के विरुद्ध संगठित होने लगे। किसानों की सभाएँ हुईं। विभूति प्रसाद, स्वामी विद्यानन्द के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने मधुबनी सब-डिविजन के 'नरार' गाँव के किसानों को संगठित कर, जून १९१६ ई० में आंदोलन की शुरुआत की। शीघ्र ही यह आंदोलन करीब १७ अन्य गाँवों में फैल गया। उसके बाद यह आंदोलन पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर एवं मुंगेर के कुछ इलाकों में फैल गया। स्वामी विद्यानन्द ने कांग्रेस से सहयोग मांगा, शुरु में कांग्रेस ने कुछ सहानुभूति का प्रदर्शन किया, लेकिन शीघ्र ही दरभंगा महाराज ने कांग्रेस के अन्तर्गत अपने प्रभाव का उपयोग किया और कांग्रेस ने इस आंदोलन के प्रति उदासीनता का रुख अपनाया। आंदोलन धीरे-धीरे हिंसात्मक होता चला गया, भयभीत होकर दरभंगा महाराज ने नेतृत्व में १९२२ ई० में 'प्रतीय किसान सभा' का गठन किया गया और इस बात का दावा किया गया कि यही संस्था सही अर्थों में किसानों का शुभचिंतक है। इस संस्था के सचिव के रूप में राय बहादुर शिवशंकर झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः किसानों ने इस संस्था को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। दरभंगाराज ने किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए कुछ रियायतों की घोषणा की और स्वामी विद्यानंद का आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १९२० ई० के नागपुर अधिवेशन में 'कर' नहीं दो का नारा दिया गया। बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को किसानों द्वारा लगान नहीं दिया गया। किसान सभा और असहयोगियों द्वारा आयोजित सभाओं के प्रति किसानों ने काफी उत्साह दर्शाया। उत्तर बिहार के अनेक देशी रियाशतों द्वारा तथा बगान मालिकों को लगान भुगतान नहीं किया गया, सारण जिले की स्थिति ज्यादा गम्भीर थी। अनेक स्थानों पर किसानों ने राजस्व वसूली एवं नीलामी का भी विरोध किया। १९२२-२३ ई० में शाह मुहम्मद जुबैर एवं श्रीकृष्ण सिंह द्वारा 'किसान सभा' की स्थापना की गई। ४ मार्च १९२८ ई० को पटना जिला के 'बिहटा' नामक स्थान पर स्वामी शहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना कर किसान आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किया। १९२६-३३ ई० के विश्व-व्यापी आर्थिक मंदी के कारण किसानों पर और अधिक बुरा प्रभाव पड़ा, कृषि उत्पादों के कीमत में कमी आ गई, जिस कारण कृषक वर्ग को अपना लगान चुकाने में असमर्थ हो गये, जमींदारों द्वारा कृषकों की मजबूरियों का फायदा उठाया गया तथा गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अब किसानों के समक्ष अपनी अस्तित्व को बचाये रखने के लिए आंदोलन के अलावा दूसरा और विकल्प नहीं था। किसानों की उग्रता को देखकर जमींदार में भय का माहौल बन गया, जिस कारण उन्होंने दरभंगा महाराज के अध्यक्षता में 'यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसान आंदोलन को शिथिल करना था।

१९३४ ई० में कांग्रेस पार्टी के अन्तर्गत कुछ युवा समाजवादी विचारधारा वाले जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्द्धन, अशोक मेहता, एम.एल. दंतवाला आदि जैसे नेताओं ने कांग्रेस के भीतर एक सच्चे साम्राज्यवादी विरोधी संगठन के रूप में 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' की स्थापना किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया। इन सामाजवादियों ने स्वामी शहजानंद के नेतृत्व वाले किसान संगठन का स्वागत किया और अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के उपर दबाव डाला कि किसानों की दुर्दशा के लिए एक जाँच समिति का गठन किया जाय। जाँच समिति का गठन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा किया गया, परन्तु समिति की रिपोर्ट पर ईमानदारी से अमल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप किसान नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गये। स्वामी शहजानंद एवं उनके सहयोगियों के कार्यक्रम को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा असफल बनाने की चेष्टा की गई। निश्चित तौर पर कांग्रेस और किसान सभा के बीच सम्बन्ध काफी तनावपूर्ण हो गया, अंततः जवाहर लाल नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा।

किसानों के समस्याओं का निदान करने हेतु १९३६ ई० में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अप्रैल १९३६ ई० में लखनऊ में स्वामी शहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। अगस्त १९३६ ई० में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया, घोषणा पत्र में किसानों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित किया गया, परन्तु मुख्य माँग किसानों की स्थिति से ही संबंधित रही, जिसमें जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने, किसानों को जमीन का मालिक बनाने, बेगारी प्रथा समाप्त करने, कर्ज समाप्त करने, लगान की राशि में पाँच प्रतिशत की कमी करने एवं जंगल संबंधी अधिकार किसानों को देने इत्यादि की मांगे रखी गई। किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन किया गया एवं १ सितम्बर १९३६ ई० को पूरे देश में 'किसान दिवस' के रूप में मनाया गया। बिहार में जमींदारों के विरुद्ध मुंगेर जिले के बड़हिया में जमींदारों द्वारा किसानों के जमीनों को 'बकाशत जमीन' में बदले के विरोध में एक बड़ा आंदोलन नवम्बर १९३६ ई० में आरंभ हुआ। बिहार में प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में मुख्यतः मुंगेर, गया, पटना, दरभंगा, चम्पारण, सारण और शाहाबाद जिले में किसान आंदोलन हुआ। इन संघर्षों का नेतृत्व स्वामी शहजानंद सरस्वती के देख-रेख में पंडित कार्यानन्द शर्मा, पंडित यदुनंदन शर्मा, महापंडित राहुल संकृत्यायन, पंडित यमुना कार्जी एवं पंडित रामनंदन मिश्र जैसे चोटी के नेताओं ने किया था। संघर्षोपरांत कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का दशा सुधारने का वादा किया। १९३७ के चुनाव में बिहार में कांग्रेस को आशतित सफलता मिली और सफलता का श्रेय किसान सभा ने अपने उपर लिया। कांग्रेस के नई सरकार के सामने अब्दुल बारीक एवं रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे नेताओं ने जमींदारी उन्मूलन का मांग रखा। कांग्रेस मंत्री मंडल को एक सीमा के अंतर्गत काम करना था, वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती थी, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा चरमरा जाता इससे किसान सभा के नेताओं को घोर निराशा मिली, स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नेतृत्व में करीब ५० हजार किसानों ने बिहार विधान सभा को घेरा और प्रधानमंत्री श्रीकृष्ण सिंह एवं कांग्रेस

अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध नारेबाजी की गई। किसानों के लगान और जलकर घटाने, जमींदारों द्वारा छीनी गई जमीन वापस करने एवं भूमि अधिकार कानून में संशोधन करने की मांग की गई। बाध्य होकर सरकार को लगान विधेयक' पेश करना पड़ा। परिणामस्वरूप बकास्त भूमि अधिनियम, मुजारा अधिनियम इत्यादि से किसानों को कुछ राहत मिली। परन्तु उनकी मुख्य मांग जमींदारी प्रथा की समाप्ति पूरी नहीं हो सकी। कांग्रेस सरकार ने जमींदारों के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई।

१९३८ ई० तक किसान सभा सशक्त हो चुकी थी, इसकी सदस्य संख्याओं में आशातित वृद्धि हुई। १९३८ ई० में बिहार में किसान सभा के सदस्यों की संख्या २ लाख ५० हजार तक पहुँच चुकी थी। १९३६ ई० के अन्त में प्रांतीय सरकार के त्यागपत्र एवं खाद्यान्न मूल्यों में २० प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात आन्दोलन की गति मंद होने लगी द्वितीय विश्वयुद्ध तक आते-आते स्वामी सहजानन्द सरस्वती मार्क्सवादी विचारधार की ओर आकृष्ट होने लगे और वर्ग संघर्ष के आधार पर उन्होंने किसान आन्दोलन को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके कारण जयप्रकाश नारायण ने 'रेड किसान सभा' का गठन किया। समाजवादी आन्दोलन के अस्तित्व में आ जाने के कारण किसान आन्दोलन कमजोर पड़ने लगा। स्वामी जी एवं उनकी किसान सभा १९४२ ई० के महान जन आन्दोलन से अपने आप को दूर रखा। जयप्रकाश नारायण १९४२ ई० के जन आन्दोलन के सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में किसानों ने १९४२ ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन को यादगार आन्दोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया और भारत की आजादी को काफी करीब ला दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अब ऐहसास हो गया भारत के गांव में जन आन्दोलन फैल चुका है और उसे कुचलना उसके वश की बात अब नहीं है।

निष्कर्षतः औपनिवेशिक काल में बिहार के किसानों की समस्याओं एवं उकने द्वारा किए गए आन्दोलन से जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश राज के द्वारा किसानों पर विभिन्न प्रकार के लगान एवं कर लगा दिए गए थे और उनकी समस्या दिन व दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जमीनदारों एवं साहूकारों के माध्यम से स्थाई बन्दोवस्त, परंपरागत अधिकार (सार्वजनिक चारागाह, जंगल, मछली पालन इत्यादि) से वंचित किया जाना तीनकठिया प्रथा किसानों की भूमि जबरन छीन लेना आदि बर्बरता पूर्ण कार्य करवाया गया। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई और जो किसान कल तक भूमि का स्वामी हुआ करता था वो ब्रिटिश साम्राज्य में एक खेतिहर मजदूर बनकर रह गया। आर्थिक क्षति के साथ-साथ बिहार के किसानों की सामाजिक अवस्था भी देयनीय हो चुकी थी। समाज के मध्यम वर्ग से नीचे गिरकर वह मजदूर की श्रेणी में आ चुके थे। जिस कारण समय-समय पर किसानों को अपनी अस्तित्व बचाये रखने के लिए किसान आन्दोलन के माध्यम से अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। परन्तु किसानों की समस्याओं का निदान भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही संभव हो सका।

संदर्भ सूची :-

१. वी.डी. महाजन, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एण्ड आफटर।

२. पार्था चटर्जी, नेशनल थाउट एण्ड दि कोलोनियल वर्ल्ड : ए डेरिवेटिव डिसकोर्स (दिल्ली, १९८६)
३. ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, इकोनोमिक डिस्लोकेशन इन नाइनटिन्थू सेन्च्युरी यू.पी. सम इम्पलिकेशन ऑफ दि डिक्लाइन ऑफ आर्टिशनल इन्डस्ट्री इन कोलोनियल इंडिया इन पी. रोव (इंडि.) रूरल साउथ एशिया ।
 ४. सुभाष चक्रवर्ती दि राज सिन्ड्रोम-ए स्टडी इन इम्पेरियल परसेप्सन्स (दिल्ली, १९८६)
५. बी.वी. मजमूदार, इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन एण्ड रिफोर्म ऑफ लेजीस्लेटर १८१८ - १९१७ (कलकत्ता-१९६५)
६. जे. आर. मेकलेन, इंडियन नेशनलिज्म एण्ड द अर्ली कांग्रेस (प्रिंसटन १९७७)
७. सुमित सरकार, पोपुलर मुवमेंट्स एण्ड मिडिल क्लास इन लेट कोलोनियल इंडिया: परसेपेक्टिव एण्ड प्रॉवलेम्स ऑफ ए हिस्ट्री प्रॉम बिलोअ, सेन्टर फॉर स्टडीज इन सोशल साईंस कलकत्ता १९८३
८. बी.सी. जोशी (एडि.), राममोहन राय एण्ड द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इजेशन इन इंडिया (विकास पब्लिकेशन, दिल्ली, १९७५)
९. बीपिन चन्द्र, आधुनिक भारत, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली ।
 १०. प्रसाद, के.एन, बिहार के साधन कृषि और उद्योग ।
 ११. भाले राव, डॉ० म० म०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी ।
 १२. अकाल जाँच आयोग १९४५ का प्रतिवेदन ।
१३. भारतीय खेत मजदूर यूनियन का पाँचवा राष्ट्रीय सम्मेलन (रिपोर्ट एवं प्रस्ताव), राजगीर, बिहार।
 १४. कांग्रेस कृषि सुधार समिति, रिपोर्ट, १९३६-४७
 १५. प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति, १९५०-५१